पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 03 तथा एन0बी0डब्लू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 26.08.2023

दिनांक 25/26.08.2023 को रात्रि थाना आलमबाग 02, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 03 तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना गाजीपुर 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना गोसाईगंज-दिनांक 25/26.08.2023 को एस0आई0 श्री रामदास थाना गोसाईगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01- सुरेश कुमार उर्फ महेश कुमार रावत पुत्र रामहर्ष निवासी ग्राम करमेमऊ मजरा गढ़ी थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी उम्र करीब 22 वर्ष को मोहित वाली गली ग्राम जौखण्डी थाना गोसाईगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 23 पुडिया वजन करीब 07 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना सरोजनीनगर(फौती)-दिनांक 26.08.2023 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि श्री दीपक कुमार पुत्र श्री प्रमधन निवासी पखण्ड कालोनी थाना घोसी जनपद औरंगाबाद हालपता-औरंगाबाद डेरा शहीद पथ सरोजनीनगर लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर आकर एक किता फौती सूचना दिया कि दिनांक 26.08.2023 को ट्रान्सपोर्टनगर थाना सरोजनीनगर लखनऊ के नार्थ रेलवे लाइन नं0-04 पर एक डेड बाडी मिली है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री नीरज कुमार मो0नं0 8565850361 थाना सरोजनीनगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक की पहचान अनुज कुमार सविता उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र विजय सविता निवासी म0नं0-ई 239 पराना थाना कृष्णानगर लखनऊ के रुप में उसके सगे भाई अजय कुमार सविता के द्वारा की गई। मृतक हाईस्कूल पास है और अपनी ओला व ऊबर की गाड़ी चलाता था। मृतक अविवाहित था। परिवारवालों द्वारा बताया गया कि अनुज कुमार दिनांक 25.08.2023 की सुबह जल्दी वापस आने का बात कहकर कहीं गया था।

थाना मड़ियांव(एक्सीडेन्ट)-दिनांक 26.08.2023 को थाना मड़ियांव द्वारा बताया गया कि वादी श्री खुशीराम पुत्र स्व0 जालिम निवासी-ग्राम इटोरिया पोस्ट मलबा अखवेलपुर तड़ थाना लोनार जनपद हरदोई ने थाना मड़ियांव पर सूचना दिया कि दिनांक 26.08.2023 को समय करीब प्रातः 04.30 बजे वादी के मामा देवीदीन पाल उम्र करीब 76 वर्ष पुत्र स्व0 चेतापाल निवासी म0नं0-538/क 1776 कंचनपुरम् त्रिवेणी नगर लखनऊ रोज की तरह मार्निंग वाक के लिए निकले थे। जब वादी के मामा देवीदीन वापस नही आये तो वादी समय 06.00 बजे सुबह अपने मामा को खोजने के लिए निकले तो बन्धा फैजुल्लागंज पहुंचा तो देखा कि देशी शराब के ठेके के पास काफी भीड़ लगी हुई है। वादी ने जब पास जाकर देखा तो वादी के मामा देवीदीन पाल उपरोक्त मृत अवस्था में पड़े हैं। जब वादी ने लोगों से पूछा तो जानकारी मिली कि सुबह 05.00 बजे एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक मोटरसाइकिल नं0-यू पी 32 एल वाई 7173 का चालक भी घायल हो गया और आप के मामा की मृत्यु हो गई है। वादी को ज्ञात हुआ कि मोटरसाइकिल नं0-यू पी 32 एल वाई 7173 के अज्ञात चालक द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के मामा देवीदीन पाल को टक्कर मार दिया गया, जिसे वादी के मामा उपरोक्त की मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना मड़ियांव पर मु0अ0सं0 438/2023 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना ठाकुरगंज(मारपीट)</u>-दिनांक 26.08.2023 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती अनुराधा कश्यप पत्नी श्री रंजीत कश्यप निवासी मुसाहबगंज चुंगी थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 25.08.2023 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि वादिनी अपने घर के बाहर थी कि तभी पड़ोस के रहने वाले अरविन्द व उसका भाई राजू और कुनाल पुत्रगण प्रकाश आदि लोगों ने मिलकर आपसी रंजिश को लेकर वादिनी को गन्दी गन्दी गालियां देते है । वादिनी द्वारा मना करने पर विपक्षीगणों द्वारा वादिनी को लात घूसों से मारने पीटने लगे। जिससे वादिनी को काफी चोटें आई हैं। वादिनी के शोर मचाने से विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये । **इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0-587/2023 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**